अध्याय–4

आरजे–ओएन–90 / 1

ब्लॉक से संबंधित लेखापरीक्षा खोजें

अध्याय 4 – आरजे–ओएन–90/1 ब्लॉक से संबंधित लेखापरीक्षा खोजें

4.1 विहंगावलोकन

4.1.1 प्रस्तावना

4.1.1.1. आर.जे.–ओ.एन.–90/1 ऑनलैड ब्लॉक, प्री–नैल्प अन्वेषण ब्लॉकों में से एक है, जिसे मई 1995 में प्री–नैल्प अन्वेषण राऊंड के राऊंड IV में शैल इंडिया प्रोडक्शन डेवलपमेंट (एस.आई.पी.डी) को प्रदान किया गया था। पी.एस.सी. को जी.ओ.आई., एस.आई.पी.डी. और ओ.एन.जी.सी. के बीच 15 मई 1995 को हस्ताक्षरित किया गया था। बाद में, एस.आई.पी.डी. की पी.आई. को सितम्बर 1998 और जून 2003 में तीन चरणों में केयर्न एनर्जी इंडिया लिमिटेड और केयर्न एनर्जी हाइड्रोकार्बन लिमिटेड (इकट्ठे तौर पर "केयर्न एनर्जी" कहा जाता है) में हस्तांतरित कर दिया गया। केयर्न एनर्जी इंडिया लिमिटेड (सी ई आई एल)[82] ब्लॉक का ऑपरेटर है।

4.1.1.2. ब्लॉक में जुलाई 1999 और नवम्बर 2008 के दौरान 25 हाइड्रोकार्बन अन्वेषण (21 तेल और 4 गैस) किये गये। उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान, तीन प्रभिन्न विकास क्षेत्र (डी.ए.) एम.सी. द्वारा वाणिज्यिक अन्वेषणों में शामिल करने के लिये अनुमोदित किये गये। पी.एस.सी. की शर्तों के अन्तर्गत, ओ.एन.जी.सी., जी.ओ.आई. के एक नामित के रूप में जिसे तीन विकास क्षेत्रों जैसे डी.ए.–1, डी.ए.–2 और डी.ए.–3 में से प्रत्येक के अधिकतम 30 प्रतिशत तक का पी.आई. लेने का अधिकार था। ओ.एन.जी.सी. भी ब्लॉक का लाइसेंसधारक था जो पी.ई.एल., खनन पट्टा (एम.एल.) और रॉयल्टी/पी.ई.एल./एम.एल. फीस को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी थे। ब्लॉक के तीनों विकास क्षेत्रों में से प्रत्येक के खोजों की संख्या निम्न है :

तालिका 22 : विकास क्षेत्रवार खोजों की स्थिति

विकास क्षेत्र (डी.ए.)	खनन पट्टे का अनुदान	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में	खोजों की संख्या	
			तेल	गैस
डी.ए.–1	जून 2005	1859.00	12	2
डी.ए.–2	नवम्बर 2006	430.17	08	0
डी.ए.–3	नवम्बर 2007	822.00	01	2
योग		**3111.17**	**21**	**4**

4.1.2 भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन

4.1.2.1. ब्लॉक से कच्चे तेल का उत्पादन 29 अगस्त 2009 को शुरू हुआ। वर्तमान में डी.ए.–1 में पाँच खोजें जैसे मंगला, सरस्वती, रागेश्वरी और रागेश्वरी दीप (गैस) और डी.ए.–2 में भाग्यम उत्पादन कर रही हैं।

---

[82] केयर्न इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) की नियंत्रक कंपनी, केयर्न एनर्जी पी.एल.सी. ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी के एक महत्वपूर्ण भाग को वेदांता रिसोर्सेस पी.एल.सी. को बेचने के लिए प्रस्तावित किया और सी.आई.एल. में 51 से 60 प्रतिशत की सीमा तक की अपनी हिस्सेदारी को वेदांता रिसोर्सेस पी.एल.सी. को बेचने के लिए सितंबर 2010 में सरकार की स्वीकृति माँगी। जुलाई 2011 में, जी.ओ. आई. ने उपकर मध्यस्थता मामले को हटाने और ब्लॉक के संबंध में रॉयल्टी को वसूली योग्य लागत के रूप में मानने की शर्त पर स्वीकृति दी। बाद में, केयर्न द्वारा उपकर मध्यस्थता मामला हटा लिया गया और अब , रॉयल्टी वसूली योग्य लागत बन गई है।

4.1.2.2. अनुच्छेद 15 पी.एस.सी. के अनुसार, अनुबंध की पार्टियाँ उस विकास क्षेत्र के लिये पिछले वर्ष के अन्त में प्राप्त आई.एम. के आधार पर प्रत्येक विकास क्षेत्र से लाभ तेल का हिस्सा लेंगी। जी.ओ. आई. और कॉन्ट्रेक्टर का आई.एम. गणना पर आधारित हिस्सा निम्न है :

तालिका 23 : आई.एम. गणना पर आधारित जी.ओ.आई. और कॉन्ट्रेक्टर का हिस्सा

आई.एम. स्लैब	जी.ओ.आई. का हिस्सा (*प्रतिशत* में)	कॉन्ट्रेक्टर का हिस्सा (*प्रतिशत* में)
< 1.5	20	80
> = 1.5 परंतु < 2.0	30	70
> = 2.0 परंतु 2.5 ls de	40	60
2.5 या ज्यादा	50	50

2011–12 के दौरान मार्च 2011 तक 0.68 के आई.एम. पर आधारित लाभ पेट्रोलियम में जी.ओ.आई. का हिस्सा 20 प्रतिशत निकाला गया।

4.1.2.3. ब्लॉक में व्यय मार्च 2012 तक यू.एस. डॉलर में 6229.71 मिलियन था। 2009–10 से 2011–12 तक उत्पादन, बिक्री, बिक्री राजस्व, रॉयल्टी और उपकर का विवरण निम्न प्रकार थे :

तालिका 24 : लागत, उत्पादन, बिक्री और बिक्री राजस्व

वर्ष	लागत यू.एस. डॉलर मिलियन				उत्पादन तेल (एम.एम.टी.)	बिक्री राजस्व (यू.एस. डॉलर मिलियन)	जी.ओ. आई[83] पी.पी. (यू.एस. डॉलर मिलियन)
	अन्वेषण	विकास	उत्पादन	कुल			
2008-09*	616.51	1383.32	-	1999.83	*	*	*
2009-10	11.22	921.54	96.46	1029.22	0.45	205.69	शून्य
2010-11	-0.98	694.89	821.18	1515.09	5.15	2789.33	शून्य
2011-12	-1.13	439.10	1247.60	1685.57	6.55	4840.61	449.41
योग	625.62	3438.85	2165.24	6229.71	12.15	7835.63	449.41

* मार्च 2008 तक संचित लागत, उत्पादन 29 अगस्त 2009 से शुरू

ऑपरेटर ने डी.ए.– 1 से यू.एस. डॉलर 5471.64 मिलियन वसूल किये और ओ.सी./एम.सी. के अनुसमर्थन के विचाराधीन होने के कारण यू.एस. डॉलर 413.80 मिलियन (मार्च 2012) की लागत वसूली को टाल दिया गया। डी.ए.–2 के संबंध में मार्च 2012 तक यू.एस. डॉलर 108.06 मिलियन वसूलने के साथ यू.एस. डॉलर 233.88 मिलियन शेष वसूले नहीं गये थे। विवरण नीचे दिया गया है।

[83] *जी.ओ. आई.पी.पी.= जी.ओ.आई. का लाभ पेट्रोलियम*

तालिका 25 : मार्च 2012 तक लागत वसूली की स्थिति

(राशि मिलियन यू.एस. डॉलर में)

विवरण	डी.ए.–1	डी.ए.–2
कुल राजस्व	7718.69	108.06
कुल लागत खर्च की गई	5885.44	341.94
घटायें टाली गई लागत वसूली	413.80	00.00
वसूली योग्य अनुबंध लागत	5471.64	341.94
लाभ तेल/(न वसूली गई लागत)	2247.05	(233.88)

(स्त्रोत : फॉरमैट # 4 एवं 5, ई.ओ.वाई. विवरण 2012)

तालिका 26 : रॉयल्टी एवं उपकर

(आई.एन.आर. करोड़ में)

वर्ष	रॉयल्टी	उपकर	योग
2009-10	120.79	112.80	233.59
2010-11	1842.50	1306.60	3149.10
2011-12	3556.46	1770.42	5326.88
योग	5519.75	3189.82	8709.57

4.1.3 इस अध्याय में जाँचों का प्रस्तुतीकरण

इस अध्याय का पैरा 4.1.4 लेखापरीक्षा नमूने लेने से संबंधित है। लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये अनुपालन, राजस्व और प्राप्ति संबंधित मुद्दे क्रमशः पैरा 4.2, 4.3 और 4.4 में है।

4.1.4 नमूने की प्रक्रिया

2008–09 से 2011–12 की अवधि के दौरान, ऑपरेटर द्वारा (अनुमानतः यू.एस. डॉलर 2392 मिलियन कीमत के) एक मिलियन यू.एस. डॉलर से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के 199 प्राप्ति और सेवा अनुबंध देशी और विदेशी विक्रेताओं को दिये गये, जिनमें से 60 प्राप्ति मामलों (यू.एस. डॉलर 1849 मिलियन की लागत के) की समीक्षा की गई।

4.2 अनुपालन मुद्दे

4.2.1 एम सी बैठकों के कार्यवृत्त को अंतिम रूप देने में हुई देरी

4.2.1.1. पी.एस.सी. ने अन्य बातों के साथ विकास योजनाओं या ऐसी विकास योजनाओं के संशोधन या कुछ जोड़ने में एम.सी. का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कहा गया है। आगे, पी.एस.सी. का अनुच्छेद 5.10 एवं 5.11 यह भी कहता है कि बैठक के समाप्त होने की तिथि से 28 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले कार्यवृत्त तैयार किये जाएं और कार्यवृत्त प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर सदस्यों

द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन किया जाए। इस प्रकार, एम.सी. बैठको के कार्यवृत्त 49 दिनों की अधिकतम अवधि में अनुमोदित हो जाने चाहिये।

4.2.1.2. वर्ष 2008–09 से 2011–12 के दौरान हुई एम.सी. बैठकों से संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा में पाया गया कि जुलाई 2010 और सितम्बर 2011 के बीच हुई पाँच एम सी बैठकों से संबंधित कार्यवृत्त को अंतिम रूप देने में 115 से 213 दिन (49 दिनों की अधिकतम अवधि के सापेक्ष में) लगे। जिससे कार्यवृत्त के अनुमोदन होने में 66 से 164 दिनों की देरी हुई। कार्यवृत्त के अनुमोदन की तिथि को, एम.सी. को प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुमोदन (अस्वीकृति) की तिथि के रूप में लिया गया। कार्यवृत्त को समय पर अंतिम रूप/अनुमोदन देने के अभाव में गतिविधियों में देरी हुई, जैसाकि नीचे दिए गए पैरा में टिप्पणी की गई है।

4.2.1.3. एम.ओ.पी.एन.जी. ने उत्तर (जून 2014) दिया कि

- *ओ.एन.जी.सी. का प्रतिनिधि एम.सी. का चेयरमैन था तथा केयर्न का प्रतिनिधि जो कि ऑपरेटर था, एम.सी. का सचिव था। एम.सी. के सचिव की तरफ से मीटिंग का कार्यवृत्त बनाने एवं आगे की कार्यवाही में देरी हुई।*
- *किसी भी क्रियाकलाप में कार्यवृत्त मे हस्ताक्षर की वजह से देरी नहीं हई क्योंकि निर्णय समय पर एम.सी. मीटिंग में लिए गए थे, जो कि बाद में कार्यवृत्त में दर्ज किए गए थे।*

4.2.1.4. ऑपरेटर ने अपने जवाब (जुलाई 2014) में एम.ओ.पी.एन.जी. को बताया कि *एम.सी. की मीटिंग के कार्यवृत्त तैयार किये गये और ऑपरेटर द्वारा 15 दिनों के भीतर प्रचालित कर दिए गए और अन्य सदस्यों की सहमति/टिप्पणी प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए ताकि हस्ताक्षरित कार्यवृत्त को जल्दी से जारी किया जा सके।*

4.2.1.5. लेखापरीक्षा के विचार से एम.सी. के कार्यवृत्त का अनुमोदन या अंतिम रूप देना एम.सी. का आंतरिक मामला था जो कि पी.एस.सी में दिए गए समय के अनुसार पूरा कर लिया जाना चाहिए था।

4.2.2 ऑप्टीमाइजेशन अवधारणा के अनुमोदन में देरी

4.2.2.1. मंगला क्षेत्र के विकास में प्राप्त अनुभव से, ऑपरेटर ने भाग्यम क्षेत्र के लिये एक ऑप्टीमाइजेशन अवधारणा को प्रस्तावित (अप्रैल 2010) किया, जिसे एम.सी. द्वारा 20 अगस्त 2010 को विवेचित किया गया। एम.सी. का अंतिम अनुमोदन 13 सिदम्बर 2010 को सूचित किया। इस प्रकार, एम. सी. बैठक की तिथि से 115 दिनों का समय बेहतरी अवधारणा के अनुमोदन में लग गया। इससे गतिविधियों के शुरू होने में देरी हुई।

4.2.2.2. एम.ओ.पी.एन.जी. ने जवाब (जून 2014) में कहा कि *भाग्यम ऑप्टीमाइजेशन अवधारणा मेनेजमेन्ट कमेटी (एम.सी) जो कि 19 जुलाई 2010 को हुई थी में किया गया जिसमें एम.सी ने सलाह दी कि ओपरेटर को अवधारणा में ओपरेटिग कमेटी (ओ.सी) के माध्यम से उचित रूप देना चाहिए। ओ. सी का प्रस्ताव अंततः ओपरेटर द्वारा 20 अगस्त 2010 को प्रस्तुत किया गया जो कि एम.सी द्वारा पुनरीक्षण किया गया। एम.सी. का प्रस्ताव (एम.सी.आर) डी.जी.एच द्वारा 11 अक्तूबर 2010 को हस्ताक्षरित किया गया जबकि बचे हुए एम.सी. के प्रतिनिधियों के एम.सी.आर पर हस्ताक्षर 13 दिसम्बर 2010 को*

किए गए। इसने आगे बताया कि अवधारणा के ओप्टीमाईजेशन पर महत्वपूर्ण विचार–विमर्श एम.सी की मीटिंग के बाद हुए तथा शीघ्र निर्णय लेने के लिए बिना एम.सी की भौतिक मीटिंग की प्रतिक्षा किए कार्यवृत्त प्रचलन के द्वारा हस्ताक्षरित करवाये गये।

4.2.2.3. ओपरेटर ने अपने जवाब (जुलाई 2014) में एम.ओ.पी.एन.जी को बताया कि वह इस बात को एम.सी में उठाएगा तथा एम.सी. बैठकों के समयोजित अनुमोदन/समाप्ति को सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहमति बनायेगा।

4.2.2.4. तथ्य यह रहा कि भाग्यम अवधारणा पर 20 अगस्त 2010 को एम.सी की सहमति होने के बावजूद एम.सी के क्रियाकलाप को शुरू करने में अनुमोदन के कार्यवृत्त लगभग 4 महीने के बाद 13 दिसम्बर 2010 को हस्ताक्षरित हुए जिससे फलतः 2010–11 का बजट पूरी तरह से उपयोग नहीं हो सका।

लेखापरीक्षा सिफारिश 16 सभी हिस्सेदार सुनिश्चित करें कि एम.सी बैठकों के कार्यवृत्त को परियोजनाओं के निष्पादन में देरी से बचने के लिये सही समय पर अंतिम रूप दें।

4.2.3 कार्य योजना एवं बजट को प्रस्तुत करने में देरी

4.2.3.1. पी.एस.सी के अनुच्छेद 6.7 और 9.11 में वर्णित है कि विकास और उत्पादन संचालनों से संबंधित डब्ल्यू.पी. एंड बी. को ओ.सी. द्वारा एम.सी के अनुमोदन हेतु आने वाले वर्ष के संबंध में, प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर से पहले प्रस्तुत किया जाए।

4.2.3.2. लेखापरीक्षा ने ओ.सी. द्वारा एम.सी. को डब्ल्यू.पी. एंड बी. (2008–09 से 2011–12) के प्रस्तुतीकरण और बाद में एम.सी द्वारा अनुमोदन में देरी को पाया जैसाकि नीचे सारांश में दिया गया है:

तालिका 27 : डब्ल्यू.पी. एंड बी. की प्रस्तुति में देरी

डब्ल्यू.पी एंड बी. वर्ष के लिए	ओ.सी द्वारा एम.सी को प्रस्तुति की देय तिथि	एम.सी को प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	दिनों में देरी	एम.सी द्वारा अनुमोदन की तिथि	एम.सी के अनुमोदन के लिए, लिये गये दिन
	ए	बी	सी=ए–बी		डी बी–सी
2008–09	31 दिसम्बर 2007	31 मार्च 2008	91	7 जुलाई 2008	98
2009–10	31 दिसम्बर 2008	21 अप्रैल 2009	111	30 जून 2009	70
2010–11	31 दिसम्बर 2009	12 अप्रैल 2010	102	20 अगस्त 2010	130
2011–12	31 दिसम्बर 2010	21 अप्रैल 2011	111	16 दिसम्बर 2011	239

4.2.3.3. वर्ष 2008–09 से 2011–12 के दौरान एम.सी. को ओ.सी. द्वारा अनुमोदित डब्ल्यू.पी. एंड बी. के प्रस्तुतीकरण में 91 से 111 दिनों की देरी हुई। आगे, एम.सी द्वारा डब्ल्यू.पी. एवं बी. को अनुमोदित करने में 70 से 239 दिन लग गए। इस प्रकार, वार्षिक डब्ल्यू.पी. एवं बी. की प्रस्तुति और अनुमोदन में देरी से पी एस सी में निर्धारित समय सीमा का उल्लंघन हुआ साथ ही एम सी के अनुमोदन के बिना डब्ल्यू.पी. एंड बी में वर्णित गतिविधियां भी जारी रहीं।

4.2.3.4. ऑपरेटर ने कहा (नवम्बर 2012) कि *एफ.डी.पी बहु–वर्षी कार्यक्रम थे और वार्षिक डब्ल्यू. पी. एवं बी केवल वर्ष दर वर्ष आधार पर व्यय को चरणों में दिखा रहे थे। एक विशिष्ट बहु–वर्षीय परियोजना में, जो चीज ज्यादा आलोचनात्मक थी, वो परियोजना स्वीकृति थी, जो एम.सी अनुमोदित*

एफ.डी.पी के कारण से अस्तित्व में थी। इसलिये, समय पर परियोजना को पूरा करने के हित में, ऑपरेटर ने परियोजना निष्पादन जारी रखा। ऑपरेटर ने अपने जवाब (जुलाई 2014) में एम.ओ.पी.एन. जी. से कहा कि वह पी.एस.सी द्वारा निर्धारित समय को पालन करने का प्रयत्न करेगा।

4.2.3.5. एम.ओ.पी.एन.जी ने अपने जवाब (जून 2014) में कहा कि *पी.एस.सी सुनिश्चित करता है कि कॉन्ट्रेक्टर एम.सी को पिछले वर्ष के 31 दिसंबर तक वार्षिक कार्यक्रम एवं बजट प्रस्तुत करे। हालाँकि एम.सी द्वारा अनुमोदन देने की कोई समय सीमा नहीं है, सभंवतः एम.सी के पास वर्ष शुरू होने से पहले वार्षिक प्रोग्राम के अनुमोदन के लिए तीन महीने (90 दिन) का समय है। इस पृष्ठभूमि में बजट के अनुमोदन में एम.सी द्वारा लिया गया समय मूलतः अलग नहीं है तथा सामान्यतः पी.एस.सी. द्वारा निर्धारित समय का पालन हुआ है।*

4.2.3.6. ऑपरेटर का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डब्ल्यू.पी. एवं बी अनुमोदित बजट में ही एक विशेष कार्यकलाप को प्राधिकृत करता है। एफ.डी.पी का अनुमोदन, डब्ल्यू.पी. एंड बी के समय से अनुमोदन के लिये पी.एस.सी में विहित समय अवधि का पालन करने की आवश्यकता में बाधा नहीं है। एम.ओ.पी.एन.जी का तर्क कि पी.एस.सी की डब्ल्यू.पी. एव ंबी से सम्बन्धित पी.एस.सी. समय सीमा का अनुपालन किया गया, तर्कसंगत नही है क्योंकि एम.सी को ओ.सी द्वारा डब्ल्यू.पी. एवं बी. का प्रस्तुतीकरण व एम.सी द्वारा डब्ल्यू.पी. एवं बी का अनुमोदन दोनों में विलम्ब हुआ।

4.2.3.7. पी.एस.सी के अर्न्तगत, एम.सी सामान्यतः ओ.सी की सिफारिशों पर कार्य करता है। इसलिये ओ.सी की कार्यप्रणाली के महत्त्व और सम्बन्ध पर अधिक जोर नही दिया जाना चाहिये। ऊपर संदर्भित उदाहरण मुख्यतः नियन्त्रण से सम्बन्धित मुद्दे थे जो उत्पादन पर परिणामी प्रभाव से देरी के संदर्भ में परिलक्षित हुए और जिन्हें संबोधित किया जा सकता था जब ओ.सी. तथा एम.सी. अपने कार्य सक्रिय नजरिये के साथ उनके संबंधित क्षेत्रों में सामूहिक इकाईयों की भावना के साथ करेगें।

4.2.3.8. वर्ष के प्रारम्भ होने से पहले डब्ल्यू.पी. एंड बी. के अनुमोदन की आवश्यकता है। डब्ल्यू.पी. एंड बी. एकमात्र दस्तावेज है जो अनुमोदित बजट में किसी विशेष क्रियाकलाप को प्राधिकृत करता है। इसलिए, डी.जी.एच./एम.सी. समेत सभी हिस्सेदारों को डब्ल्यू.पी. एंड बी. के समयोचित अनुमोदन को सुनिश्चित करने के लिए तालमेल के साथ कार्य करना चाहिए जैसा कि पी.एस.सी. में प्रावधान है कि एम.सी. वार्षिक अधार पर विकास तथा उत्पादन बजटों को अनुमोदित करता है। (लेखापरीक्षा सिफारिश संख्या 1 देखें)

4.2.4 जी ओ आई को लाभ पेट्रोलियम का कम भुगतान

4.2.4.1. पी.एस.सी का अनुच्छेद 27.2 अन्य बातों के साथ कहता है कि कॉन्ट्रेक्टर डिलीवरी स्थान[84] से पहले की सभी लागतों के लिये उत्तरदायी होगा और जी.ओ.आई या इसके नामित (कच्चे तेल को निकालने के लिये) डिलीवरी स्थान के बाद सभी लागतों के लिये उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार, खरीददार को डिलीवरी स्थान के बाद व्यय करना होगा। एक अंतरिम प्रबंध के तहत जी.ओ.आई. ने (अक्टूबर 2009 में) कॉन्ट्रेक्टर को कांडला पोर्ट पर अंतरिम डिलीवरी स्थल स्थापित करने की अनुमति दी जिससे कि क्रूड को जी.ओ.आई. नामितो (एच.पी.सी.एल एवं मंगलौर रिफाइनरी और पैट्रोकेमिकल्स

[84] अनुच्छेद 1.23 के अनुसार "डिलीवरी स्थान से तात्पर्य है, जैसाकि अन्यथा इसमें दिया हुआ है को छोड़कर या फिर अन्यथा सरकार और कॉन्ट्रेक्टर के बीच सहमति हुई हो, वह स्थान जहाँ डिलीवरी सुविधा के निकास फ्लेज पर पेट्रोलियम पहुँचता हो और सरकार को बिक्री के प्रयोजन के लिए तथा अन्य बिक्रियों हेतु विभिन्न डिलीवरी स्थान बनाए जा सकते हैं।

लिमिटेड (एम.आर.पी.एल) को उपलब्ध कराया जा सके। इस प्रकार जी.ओ.आई द्वारा नामितो को हस्तांतरण के लिए केवल कांडला तक किया गया व्यय वसूली योग्य है।

4.2.4.2. लेखापरीक्षा ने पाया कि एच.पी.सी.एल ने 0.80 एम.एम.टी के आवंटन की अपेक्षा कोई क्रूड नहीं लिया और ऑपरेटर ने एम.आर.पी.एल एवं आर.आई.एल. को अक्टूबर 2009 से जून 2010 तक कांडला के डिलीवरी स्थल (जिसे केवल एम.आर.पी.एल. तथा एच.पी.सी.एल. को क्रूड परिवहन के लिए अनुमोदित किया गया था) के माध्यम से क्रूड का परिवहन किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि हालांकि पी. एस.सी. में कहा गया है कि डिलीवरी स्थल से आगे के लिए परिवहन लागत का वहन खरीददार द्वारा किया जाएगा फिर भी ऑपरेटर ने एम.आर.पी.एल एवं आर.आई.एल. को डिलीवरी स्थल से आगे क्रूड के लिए यू.एस. डॉलर 8.87 मिलियन का जहाजरानी व्यय किया और इसे राजस्व से समायोजित कर लिया।

4.2.4.2.1. यू.एस. डॉलर 8.87 मिलियन की वसूली के कारण जी.ओ.आई के पी.पी को यू.एस. डॉलर 1.77 मिलियन (यानिः यू.एस. डॉलर 8.87 मिलियन का 20 प्रतिशत) का कम भुगतान हुआ।

4.2.4.2.2. ऑपरेटर ने कहा (नवम्बर 2012) कि *एच.पी.सी.एल ने कच्चे तेल को उठाने में असमर्थता जाहिर की थी, आर.आई.एल (एम.आर.पी.एल सहित) को बिक्री ट्रकों के द्वारा की गई और आर.आई.एल को बिक्री के बिना, उत्पादन कार्यक्रम बुरी तरह से प्रभावित हो जाता। उसने यह भी कहा कि ट्रकों द्वारा आर.आई.एल क साथ बिक्री को नियमित करने के लिए जी.ओ.आई से उसका निवेदन विचाराधीन है। ऑपरेटर ने अपने उत्तर (जुलाई 2014) में एम.ओ.पी.एन.जी को कहा कि आर.आई.एल को बिक्री एक आर्मस लेंथ बिक्री थी और तदनुसार डिलवरी स्थान से आगे की पोत परिवहन लागतों को बिक्री कीमत से घटा लिया गया और इसलिए, किये गए समायोजन पी.एस.सी के अनुसार थे।*

4.2.4.2.3. एम.ओ.पी.एन.जी ने अपने उत्तर (जून 2014) में बताया कि *कॉन्ट्रेक्टर को 29 अगस्त 2012 को डी.जी.एच द्वारा डॉलर 8.88 मिलियन की लागत वापिसी को अमान्य करने का परामर्श दिया गया। व 31 जनवरी 2014 को इसकी निरन्तरता में अनुस्मारक भी दिया।*

4.2.4.2.4. आपरेटर का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जी ओ.आई द्वारा निर्दिष्ट डिलीवरी स्थान से परे यू.एस. डॉलर 8.87 मिलियन की शिपिंग लागत का समायोजन पी.एस.सी प्रावधानों का उल्लंघन करता है और यह जी.ओ.आई को लाभ पेट्रोलियम के कम भुगतान का परिणाम बना।

लेखापरीक्षा सिफारिश 17 आपरेटर को पी.एस.सी प्रावधानों के अनुरूप लागत वसूली करनी चाहिये क्योंकि इस संबंध में कोई भी विचलन जी ओ आई के पी पी के भुगतान पर प्रभाव डाल सकता है।

4.3 राजस्व मामले

4.3.1 एम.आर.पी.एल–जी.ओ.आई नामित की ब्लॉक से क्रूड उठाने में असमर्थता के कारण कच्चा तेल निकालने में देरी

4.3.1.1. पी.एस.सी. के अनुच्छेद 18.2 के अनुसार जी.ओ.आई. या इसके नामित का कॉन्ट्रैक्ट क्षेत्र से पूरे कच्चे तेल को क्रय करने का दायित्व है। तदनुसार 2007 की IV तिमाही से ब्लॉक से 100000 से 120000 बी ओ.पी.डी के उत्पादन होने से, जी.ओ.आई ने आर.जे क्रूड खरीदने के लिये जी.ओ.आई नामित नियुक्त करने के लिये आई.ओ. सी.एल, ओ.एन.जी सी–एम.आर.पी.एल, एच.पी.सी.एल और ऑपरेटर (सी.ई.आई.एल) से चर्चा (जुलाई 2005) की गई। चर्चा के दौरान, ऑपरेटर ने जोर दिया कि

मनोनीत जी.ओ.आई नामित पूरे उत्पादन को उठाने के लिए वचनबद्ध होना चाहिये और 2007 की चौथी तिमाही से इसे मिडस्ट्रीम/पाईपलाइन की आधारभूत संरचना ऑफटेक के लिये तैयार रखना चाहिये। ओ.एन.जी.सी और एच.पी.सी.एल दोनों ने पूरे क्रूड को संसाधित करने में अपनी समर्थता की पुष्टि की यह दर्शाते हुए कि एक पाईपलाइन[85] बारमेर से मुंद्रापोर्ट तक उनकी वर्तमान रिफाइनरियों जैसे एम.आर. पी.एल और एच.पी.सी.एल मुम्बई/विशाख रिफाइनरी तक क्रूड ले जाने के लिये बिछाई जायेगी।

4.3.1.2. जी.ओ.आई ने अन्ततः आर.जे क्रूड के लिये जी.ओ.आई नामित के रूप में एम.आर.पी.एल को मनोनीत (सितम्बर 2005) किया। फिर भी, लगभग 18 महीनों की अवधि के बाद, एम.आर.पी.एल ने जी.ओ.आई को सूचित (मार्च 2007) किया कि आर जे क्रूड उच्च बहाव बिंदू और अवशिष्टों के साथ बहुत चिपचिपा है और वर्तमान में, वह केवल प्रतिवर्ष 1.0 से 1.2 मिलियन टन ले सकता है, क्योंकि पूरे आर जे क्रूड को संसाधित करने के लिये बॉम्बे हाई क्रूड के बढ़े हुए आबंटन की आवश्यकता होगी। ऑपरेटर और एम आर पी एल के बीच कच्चे तेल की कीमत, यातायात लागत इत्यादि को लेकर भी मुद्दे थे।

4.3.1.3. एम आर पी एल द्वारा मुख्य रूप से आर जे क्रूड की विशेषताओं के कारण पूरे आर जे क्रूड को लेने में असमर्थता के लिये दिए गए औचित्य निम्न दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं है :

- जी ओ आई ने तेल कम्पनियों (ओ एन जी सी –एम आर पी एल सहित) को आर जे क्रूड को निकालने के लिये जी ओ आई नामित के रूप में प्रस्ताव देने से पहले अपना टैक्नो–इकनोमिक विश्लेषण करने और एक व्यवसायिक निर्णय लेने के लिए कहा (मार्च 2005)।
- ऑपरेटर ने ओ एन जी सी, एच पी सी एल और आई ओ सी एल को, जुलाई 2005 में उत्पादन प्रोफाइल के विवरण, क्रूड तेल एस्से (ब्लॉक से कच्चे तेल का विश्लेषण) भेजे। इसके अतिरिक्त, क्रूड तेल एस्से (अगस्त 2004) से पता चला कि आर जे क्रूड उच्च बहाव बिंदु कम सल्फर और अधिक अवशेष के साथ विवर्ण और चिपचिपा था।
- ओ एन जी सी ने स्वयं पुष्टि की कि उसकी रिफाइनरी (एम आर पी एल) आर जे ब्लॉक में जैसे खोजे गए भारी क्रूड को संसाधित करने में समर्थ है और इसलिये ब्लॉक से पूरे क्रूड का उत्पादन करने का प्रस्ताव दिया।

4.3.1.4. जी.ओ.आई. के नामित होने के बाद एम.आर.पी.एल. के द्वारा आर.जे. क्रूड संसाधित करने में असमर्थता जाहिर करने के कारण निम्नलिखित परिणाम हुए:

- कई जी ओ आई रिफाइनरियों का जी ओ आई नामित के रूप में नामांकन करना।
- बारमेर से सलाया से भोगत (गुजरात) डिलीवरी स्थान को बदलना और बारमेर से सालाया से भोगत तक यू एस डॉलर 1108 मिलियन (मार्च 2013) की लागत पर एक पाईपलाइन बिछाना।
- सरकारी नामित एम आर पी एल का आर जे क्रूड उठाने में असफलता के कारण 2007 की चौथी तिमाही से 2009 की दूसरे हॉफ तक उत्पादन के शुरू होने को बदलना।

---

[85] इस पाइपलाइन को ओ एन जी सी या एच पी सी एल की लागत पर बिछाया जाना था, जैसाकि उत्पादन सहभागिता अनुबंध का अनुच्छेद 27.2 अन्य बातों के साथ कहता है कि कॉन्ट्रेक्टर डिलीवरी स्थान से पहले की सभी लागतों के लिए और जी ओ आई या उसके नामिती (कच्चा तेल निकालने के लिए) के लिए उत्तरदायी होगा। आरंभ में, आर जे क्रूड को निकालने के लिए डिलीवरी स्थान राजस्थान में बारमेर था जिसे एम आर पी एल के आर जे क्रूड को लेने से इंकार करने पर सलाया स्थनांतरित (अप्रैल 2008) कर दिया गया।

4.3.1.5. एम ओ पी एन जी ने अपने उत्तर (जून 2014) में बताया कि *एम आर पी एल ने अपने अच्छे आर्थिक हित में और जी.ओ.आई. की बहुसंख्य रिफाइनरियों को नामांकित करने के द्वारा एम ओ पी एन जी ने एम आर पी एल के कच्चे तेल को उठाने में कठिनाई के मुद्दे पर काबू पाया।*

4.3.1.6. एम ओ पी एन जी का उत्तर मान्य नही है क्योंकि एम.आर.पी.एल. ने जी.ओ.आई. के नामित होने से पहले आर.जे. कच्चे कुए की विशेषताओं के बारे में जानकारी होते हुए भी (जुलाई 2005), पूरे कच्चे तेल को तैयार करने में असमर्थता बहुत देर बाद जताई जिसने उत्पादन और आर जे ब्लॉक से कच्चे तेल के निक्रमण का प्रतिकूल प्रभाव दिखाया।

4.3.2 पाईपलाइन के पूरा होने में देरी के कारण उत्पादन का स्थगन

4.3.2.1. एम आर पी एल की पूरे आर जे क्रूड को उठाने में असमर्थता (मार्च 2007) की दृष्टि से, ऑपरेटर (अप्रैल 2007) ने जी ओ आई को कई रिफाइनरियों का नामांकन करने, नामित रिफाइनरियों के लिए उपयुक्त डिलीवरी स्थान (बारमेर से) को बदलना और गुजरात में *बारमेर से सालाया* 580 कि.मी. पाईपलाइन बिछाने का निवेदन (अप्रैल 2007) किया। जी ओ आई ने गुजरात तट पर *बारमेर से सालाया* तक डिलीवरी स्थान को बदलने का अनुमोदन (अप्रैल 2008) एक शर्त पर किया की जी.ओ.आई. सरकारी नामितियों के रूप में कई पी एस यू रिफाइनरियों को मनोनीत कर सकती है। एक पाईपलाइन बिछाने का कार्य पहले ही जून 2008 में शुरू हो चुका था जब ऑपरेटर ने जी ओ आई को सूचित (दिसम्बर 2008) किया कि सालाया का डिलीवरी स्थान पारिस्थितिक परिस्थितियों[86] के कारण संभव नहीं है और इसे गुजरात कोस्ट पर भोगत में बदलने का निवेदन किया। इसमें *सालाया से भोगत* तक 80 कि.मी. की एक अतिरिक्त पाईपलाइन बिछाया जाना शामिल था, जिसे जी ओ आई ने जुलाई 2009 में मान लिया।

4.3.2.2. हालाँकि लेखापरीक्षा ने पाया कि *बारमेर से सालाया* तक की पाईपलाइन जून 2009 में नियत समाप्ति की अपेक्षा लगभग 10 महीनों की देरी से मई 2010 में पूरी हुई। *सालाया से भोगत* पाईप लाइन 2010 की दूसरी तिमाही में समाप्ति के लिए नियत थी, जो यान्त्रीक रूप से जून 2014 (जो अब चालू है) में नियत समय के लगभग 4 साल की समाप्ति पर पूरी हुई। ऑपरेटर ने समापन में देरियों को राजस्थान और गुजरात में प्रयोग[87] के अधिकार प्राप्त करने (आर ओ यू) किसानों के संघीकरण स्थानीय राजनीतिक आन्दोलनों इत्यादि पर आरोपित किया। इन देरियों और अन्य कारणों जैसे कार्यक्षेत्र और डिज़ाइन, मुख्य उपकरण और पैकेजिंग के कारण बदलाव, भूमि और आर ओ यू लागतों इत्यादि में बढ़ोतरी के कारण पाईपलाइन की लागत यू एस डॉलर 941 मिलियन की अनुमोदित लागत की अपेक्षा यू एस डॉलर 1108 मिलियन (मार्च 2013) तक बढ़ गई।

4.3.2.3. पाईपलाइन के पूरा होने में देरी के परिणाम निम्न है :

- पाईपलाइन के पूरा होने में 9 महीनों से ज्यादा की देरी के कारण, कुँओं की *ड्रिलींग को दुबारा पुनर्योजित* किया गया, ताकि पाईपलाइन के पूरा होने के साथ उत्पादन को सम्मिलित किया जा सके। 29 अगस्त 2009 से उत्पादन शुरू होने के साथ, *क्रूड की बिक्री* 14 जून 2010 तक पाईपलाइन के उपलब्ध न होने के कारण टैंकरों से हुई और 15 जून 2010 से पाईपलाइन के जरिये।

---

[86] से तात्पर्य है भूमि प्रयोग के अधिकारों का अभिग्रहण

[87] राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान, गोवा द्वारा किये गए अध्ययन पर आधारित, जिसने कच्छ की खाड़ी में सलाया तट–रेखा से परे पर्यावरणीय संवदेनशील क्षेत्र की उपस्थिति को खोजा था।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि पाईपलाइन चालू करने से पहले, मई 2010 में औसत उत्पादन 51115 बी ओ पी डी था, जो कि पाईपलाइन चालू करने के बाद जुलाई 2010 में 101544 बी ओ पी डी लगभग दोगुना था। ऑपरेटर ने पाईपलाइन की उपलब्धता को उत्पादन बढ़ोतरी का श्रेय (जनवरी 2013) दिया। इस प्रकार, पाईपलाइन के न उपलब्ध होने के कारण नियंत्रित/संतुलित उत्पादन रहा, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन का स्थगन करना पड़ा।
- जब तक कि सालाया से भोगत पाईपलाइन पूरी और चालू नही हो जाती, तब तक एच पी सी एल, एम आर पी एल और अन्य कोस्टल रिफाईनरियों को आर जे क्रूड की बिक्री नहीं की जा सकती।

4.3.2.4. एम ओ पी एन जी ने अपने उत्तर (जून 2014) में बताया कि *आर जे ओ एन'90/1 से बनाये गये कच्चे तेल में काफी मोम था। जिसने कच्चे तेल को साफ करने के कार्य की जटिल बनाया दिया। भारत में भारी कच्चे तेल के परिवहन के लिये आधार भूत संरचना उपलब्ध नही थी। 670 किलोमीटर लम्बी पाइपलाइन की बनाने के बाद आवश्यक पर्यावरण निकासी राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण सहायता में समय लगा। परियोजना की जटिलता को ध्यान में रखते हुऐ जो कि भारत में पहली बार किया जा रहा था, वास्तविक समाप्ति सूची ने सम्बन्धित ऐंजसियों के निष्पादन को संतुष्टिजनक दर्शाया और जिसे किसी भी तरह विलम्बित नही कहा जा सकता।*

4.3.2.5. ऑपरेटर ने एम ओ पी एन जी को अपने उत्तर (जुलाई 2014) में बताया कि *भोगट सुविधायों की समाप्ति से सभी तटीय रिफानियरइयों की देखने और आर.जे. कच्चे तेल की मूल्य बढाने से अन्तराष्ट्रीय बाजार में बराबरी आई जे कि सम्पूर्ण उत्पादित कच्चे तेल की समय पर उठाने में सहायता करेगा।*

4.3.2.6. जबकि लेखापरीक्षा पाईपलाईन परियोजना की जटिलता का आभार प्रकट करता है, लेकिन एम ओ पी एन जी का विचार कि वास्तविक समाप्ति सूची में संतुष्टिजनक निष्पादन दर्शाया गया, मान्य नही है। प्रोजेक्ट समाप्त करने में चार वर्ष का समय लग गया और प्रोजेक्ट की मूल्य भी 17 *प्रतिशत* वृद्धि जिसे कि सन्तुष्टिजनक नही कहा जा सकता।

4.3.3 नामांकित जी ओ आई रिफाइनरियों द्वारा कच्चे तेल को न उठाना

4.3.3.1. जी ओ आई ने आर जे क्रूड से तेल निकालने के लिये जी ओ आई नामितियों के रूप में कई जी ओ आई रिफाइनरियों को मनोनीत करने का निर्णय (फरवरी 2008)०लिया। जी ओ आई रिफाइनरियों जैसे आई अे सी एल, एच पी सी एल, बी पी सी एल और एम आर पी एल ने भी जी ओ ओ आई को इंगित (अक्तूबर 2008) किया कि वे ब्लॉक से 7.5 से 8.75 एम एम टी पी ए अनुमानित उत्पादन की अपेक्षा 3.5 से 4.2 एम एम टी पी ए का अवशोषण कर सकते थे। क्रम में जी.ओ.आई ने (मार्च 2009) एम.आर.पी.एल., एच.पी.सी.एल. एवं आई.ओ.सी.एल. को 2009–10 एवं 2010–11 में नियोजित उत्पादन का कुछ हिस्सा खरीदने के लिए नामित किया।

4.3.3.2. जी ओ आई रिफाइनरियों को दिया गया क्रूड के आबंटन की मात्रा और वास्तविक ऑफटेक 2009–10 से 2011–12 तक निम्न था :

तालिका 28 : क्रूड का आवंटन और ऑफटेक

;(आँकड़ें एम एम टी में)

वर्ष	आवंटन			वास्तविक ऑफटेक		
	एम आर पी एल	एच पी सी एल	आई ओ सी एल	एम आर पी एल	एच पी सी एल	आई ओ सी एल
2009-10*	0.20	0.30	0.20	0.20	-	-
2010-11*	0.40	0.50	1.50	0.07	-	0.42
2011-12	-	-	1.50	-	-	0.98
कुल	0.60	0.80	3.20	0.27	-	1.40
	0.60+0.80.3.20=4.60			1.67 (36 ***प्रतिशत***)		

* 14 जून 2010 तक आर जे क्रूड को निकालना टैंकरों के जरिये था

4.3.3.3. हालाँकि लेखापरीक्षा ने पाया कि जुलाई 2005 और अक्टूबर 2008 में आर जे क्रूड को लेने और संसाधित करने में अपनी सहमति और समर्थता दर्शाने के बावजूद, नामांकित जी ओ आई रिफाइनरियाँ निम्नलिखित कारणों से आर जे क्रूड से अपने आवंटित भाग को उठाने में असफल रही :

- वर्ष 2010–11 के दौरान, एम आर पी एल ने आबंटित क्रूड का अपना पूरा हिस्सा नहीं उठाया और जून 2010 में आर जे क्रूड को संसाधित करने में असमर्थता के कारण क्रूड उठाना बंद कर दिया, जब तक कि उनकी रिफाइनरी में कोकर यूनिट नहीं लगी थी।
- एच पी सी एल ने 2009–10 और 2010–11 के दौरान आबंटनों के बावजूद यह कहते हुये कोई क्रूड नहीं उठाया कि कांडला (एम आर पी एल/एच पी सी एल के लिये नामित डिलीवरी स्थान) क्रूड को उठाकर उसकी विज़ाग रिफाइनरी पर संसाधित करने के लिए किफायती नहीं है।
- आई ओ सी एल ने व्यवसायिक व्यवर्हायता के आधार पर आबंटित क्रूड उठाने की पुष्टि की।

4.3.3.4. इस प्रकार, आर जे क्रूड के अपने आबंटित हिस्से को उठाने में नामांकित सरकारी रिफाइनरियों की असफलता के कारण से :

- नियंत्रित/संतुलित उत्पादन जिससे 0.41 एम एम टी की कमी हुई जैसाकि 2009–10 के दौरान वास्तविक उत्पादन (0.45 एम एम टी) के साथ पुर्वानुमान उत्पादन (0.86 एम एम टी) की तुलना द्वारा इंगित किया गया है।
- ऑपरेटर को ब्लॉक से उत्पादित क्रूड के अनावंटित हिस्से को घरेलू निजी रिफाइनरियों को बेचने की विपणन स्वतंत्रता (अक्टूबर 2009) देना, 2009–10 से 2011–12 तक घरेलू निजी रिफाइनरियों को बिक्री ब्लॉक से कुल उत्पादन के 51.11 और 87.57 प्रतिशत के बीच थी।

4.3.3.5. एम ओ पी एन जी (जून 2014) ने अपने उत्तर में कहा कि *आरजे–ओएन–90/1 से उत्पादित क्रूड तेल भारी था जिसमें घनी मोम थी जिसने क्रूड शोधन को कठिन काम बना दिया। इसके अतिरिक्त, एम आर पी एल'एस की क्रूड तेल को उठाने की असमर्थता के कारण उत्पन्न हुई परेशानी जोकि शुरूआत में योजित थी एम ओ पी एवं एन जी ने काबू कर ली थी और उत्पादन में विलम्ब को नामित बहु–रिफाइनेरियों जिसमें निजी रिफाइनेरियाँ भी थी, द्वारा ठहराव दिया।*

4.3.3.6. लेखापरीक्षा ने एम ओ पी एन जे के विचार कि आर जे–ओएन–90/1 से उत्पादित क्रूड तेल घनी मोम के साथ भारी है, ध्यान दिया है। हालाँकि, तथ्य है कि पी एस यू रिफाइनरियाँ जोकि जी.

ओ.आई. से नामित है, आर जे क्रूड के आवंटित केवल पी एस यू की जिसकी सम्पूर्ण मात्रा धारा 18.2 के अन्तर्गत जी.ओ.आई. द्वारा नामितों द्वारा निकालना जरूरी था। को भी लेने में असफल रही थी, ने आवश्यक तैयारी की कमी की पुष्टी की।

4.3.4 सरकारी रिफाइनरियों के लिये सृजित आधारभूत संरचना का कमतर उपयोग करना

4.3.4.1. जी.ओ.आई. ने राधानपुर और विरामगम (अतिरिक्त वितरण स्थानों) पर आई ओ सी एल की क्रमशः पानीपत और कोयाली रिफाइनरी से आर जे क्रूड की वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिये यू एस डॉलर 64.73 मिलियन (राधानपुर : यू एस डॉलर 54.73 मिलियन और विरामगम यू एस डॉलर 10 मिलियन) की अनुमानित लागत तथा इसकी पूंजी और परिचालन और रख–रखाव व्यय की वसूली लागत के साथ दो स्पर लाईनें (बारमेर से सालाया पाइपलाईन पर) लगाने का अनुमोदन (अक्टूबर 2009) किया। राधानपुर और विरामगम के वितरण स्थान क्रमशः जुलाई 2010 और जनवरी 2012 में यू एस डॉलर 58.84 मिलियन (राधानपुरः यू एस डॉलर 48.99 मिलियन और विरामगम : यू एस डॉलर 9.85 मिलियन) की लागत पर लगाये गये।

4.3.4.2. लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2010–11 और 2011–12 के दौरान 3 एम एम टी के आवंटन की अपेक्षा आई ओ सी एल ने केवल 1.40 एम एम टी को निकाला, जो कि इसके आवंटनों का केवल 46.67 प्रतिशत था। आधारभूत संरचना के उपयोग के संबंध में, यह पाया गया कि क्रूड परिवहनों की 40000 बी ओ पी डी (39 प्रतिशत) (राधानपुर) की क्षमता के अपेक्षा केवल 15777 बैरल प्रतिदिन (बी ओ पी डी) और 60000 बी ओ पी डी (विरामगम) (8 प्रतिशत) की क्षमता की अपेक्षा केवल 4744 बी ओ पी डी था। ऑपरेटर ने इसे आई ओ सी एल इत्यादि द्वारा निर्धारित की गई, आई ओ सी एल पाईपलाइन में औसत बहाव दबाव आर जे क्रूड का सम्मिश्रिण अनुपात जैसे कारणों को उत्तरदायी (फरवरी 2013) ठहराया।

4.3.4.3. इस प्रकार, *बाड़मेर से सालाया* पाईपलाइन पर आई ओ सी एल के लिये दो समर्पित स्पर लाईनें लगाने के बावजूद, आई ओ सी एल द्वारा आर जे क्रूड की आबंटित मात्रा को निकालने में असफल होने के कारण राधनपुर और विरामगम में यू एस डॉलर 58.84 मिलियन से सृजित आधारभूत संरचना का बड़े पैमाने पर कमतर उपयोग किया गया।

4.3.4.4. एम ओ पी एन जी (जून 2014) के अपने उत्तर में कहा कि

- *भारी क्रूड (कच्चे) तेल को निकालने के आधारभूत संरचना नहीं थी और रिफाइनरियाँ भारी कच्चे तेल को शोधित करने से लैस (सज्जित) नहीं थी।*
- *एम ओ पी एन जी ने बहु (कई) रिफाइनरियों को नामित किया, वो भारी कच्चे तेल के शोधन की प्रक्रिया की तकनीकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कच्चे तेल को निकालने को ओपटीमाइज कर सकती थी।*
- *आई ओ सी ने अपनी प्लांट और मशीनरी तथा परिवहन की तकनीकी सीमाओं के अधीन रहते हुये भारी कच्चे तेल की मात्रा को अधिकतम निकालने के लिए श्रेष्ठता का प्रयास किया। हालाँकि, आई ओ सी से वास्तविक अपलिफटिंग रिफाइनरियों के भारी तेल के साथ हल्के तेल मिश्रण को संचलान करने की क्षमता पर निर्भर था। इन परिस्थितियों के कारण आई ओ सी ने उसे आवंटित से कम मात्रा निकाली।*

- *स्पर लाईन्स (रामधनपुर और वीरमगम पर) तत्वतः आई ओ सी रिफाइनरियों को मुख्य पाइप लाइन से जोड़ती है जोकि तेल को करार क्षेत्र से नजदीकी बंदरगाह तक परिवहन कर रही है। स्पर लाइनों की लागत महत्वहीन हो जाती है जब इसको मुख्य पाइपलान जिसकी लागत यूएस डॉलर 1 बिलियन से अधिक है से तुलना करते हैं। ऐसी स्पर लाइनों के अभाव में, तेल ट्रकों के माध्यम से परिवहन होंगे, जोकि अधिक घाटे का विकल्प होगा।*

4.3.4.5. हालाँकि लेखापरीक्षा ने एम ओ पी एन जी एस के विचार में पाया कि समर्पित पाइपलाइन आधारभूत संरचना (रघनपुर और विरमगम पर स्पर लाइन) आई ओ सी के लिए सृजित की गयी थी, जिसके बावजूद भी आई ओ सी आर जे तेल की आवंटित मात्रा को भी निकालने में असफल रहा। प्रतिक्रिया केवल सृजित सुविधाओं का कमतर उपयोग को पक्का करती है।

4.3.5 ब्लॉक से उत्पादित क्रूड की कीमत

4.3.5.1 *अगस्त 2009 से अनुबंध क्षेत्र से उत्पादन के बावजूद आर जे क्रूड की कीमत का अनिर्धारण*

4.3.5.1.1. पी एस सी का अनुच्छेद 19.2 प्रबंध करता है कि प्रत्येक कैलेंडर महीने या ऐसी अवधियों जैसाकि पार्टियों[88] के बीच सहमति हुई, के लिये क्रूड तेल के मूल्य हेतु प्रति बैरल यू एस डॉलर के संदर्भ में निश्चित किया जायेगा। पी एस सी के अनुच्छेद 19.6 में यह भी प्रबंध है कि गणना, गणना का आधार और निश्चित की गई कीमत कॉन्ट्रेक्टर (सी ई आई एल, सी ई एच एल और ओ एन जी सी) द्वारा जी.ओ.आई. को दी जायेगी और इसे अंतिम बार निश्चित करने से पहले यह जी.ओ.आई. द्वारा समझौते के अधीन होगा, और लंबित अंतिम निर्धारण होने पर कॉन्ट्रेक्टर द्वारा निश्चित की गई कीमत प्रयोग में लाई जायेगी।

4.3.5.1.2. जैसाकि सरकार द्वारा नामित रिफाइनरियाँ उनको आबंटित क्रूड तेल की मात्रा को नहीं निकाल रही थी, जी.ओ.आई. ने शेष मात्रा को घरेलू निजी रिफाइनरियों को बेचने की विपणन स्वतंत्रता कॉन्ट्रेक्टरों को दे दी, (अक्टूबर 2009) यह निर्धारित करते हुए कि कॉन्ट्रेक्टर द्वारा ली गई निवल बैक क्रूड कीमत पी एस सी के अनुसार होगी और पी एस सी के अन्तर्गत निर्धारित मानदंड क्रूड कीमत के लिये अन्तर्राष्ट्रीय कीमत से कम नहीं होना चाहिए, ऑपरेटर ने जी.ओ.आई. को सूचित (जून 2010) किया कि जी.ओ.आई. अनुमोदन के आधार पर, ऑपरेटर ने घरेलू निजी रिफाइनरियों (आर आई एल और ईओएल) के साथ टर्म शीट करार किये थे और इन रिफाइनरियों का मूल्य निर्धारण जी.ओ.आई. द्वारा नामित (आई ओ सी एल) के साथ सहमत फार्मूले, जिसमें पाईपलाइन बिक्री के लिये अतिरिक्त यू एस डॉलर 0.15 प्रति बैरल और तटवर्ती आपूर्तियों के लिये यू एस डॉलर 0.75 प्रति बैरल पर आधारित था।

4.3.5.1.3. लेखापरीक्षा ने पाया कि

- क्रूड तेल के मूल्य को निकालने के फार्मूले पर एम ओ पी एन जी द्वारा अभी सहमति होनी बाकी है और जी.ओ.आई. द्वारा नामांकित रिफाइनरियों को की गई बिक्री, ऑपरेटर और खरीददार के बीच

---

[88] पार्टियों से तात्पर्य है कि इस अनुबंध के लिए जो पार्टियाँ हस्ताक्षरकर्त्ता है जिसमें उनके उत्तराधिकारी भी शामिल है और जिन्हें इस अनुबंध के अंतर्गत अभ्यपर्ण की अनुमति है। तदनुसार वर्तमान में इस अनुबंध के लिए पार्टियाँ हैं भारत सरकार, ओ एन जी सी लिमिटेड, केयर्न एनर्जी इंडिया लिमिटेड और केयर्न एनर्जी हाईड्रोकार्बन लिमिटेड।

तय मूल्य पर आधारित थी, जो कि बोनी लाईट (नाईजिरियन) क्रूड मूल्यांकन के उच्च और कम मूल्य के प्रतिदिन मीन मूल्य के औसत पर आधारित थी, जैसा कि प्लेट्स में प्रकाशित हुआ है। इसके अतिरिक्त, मंगला क्रूड के उच्च बहाव बिंदु और अधिक गाढ़ेपन के कारण खरीददार को खरीददार की रिफाइनरी तक कच्चे तेल को हस्तांतरित और संभालने में अतिरिक्त लागत लगने के कारण मानदंड (बेंचमार्क) क्रूड (बोनीलाईट) से 2.14 प्रतिशत की अतिरिक्त छुट दी गई।

- अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण विशेषज्ञ, जिन्हें क्रूड मूल्य निर्धारित करने के लिये नियुक्त (सितम्बर 2009) किया गया था, ने अप्रैल 2010 में जी.ओ.आई. को मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे जुलाई 2010 में हिस्सेदारों के साथ सरकार द्वारा बाँटा गया। *हिस्सेदारों के साथ लगातार चर्चाओं के बावजूद, आर जे क्रूड के मूल्य के संबंध में सरकार का निर्णय अभिलेखों (जुलाई/अगस्त 2012) पर उपलब्ध नहीं था।* जी.ओ.आई. के सहमत मूल्य के अभाव में, बिक्री ऑपरेटर और खरीददार के बीच सहमत मूल्य फार्मूला पर जारी रही।

- ऑपरेटर द्वारा निजी रिफाइनरियों (आर आई एल/ईओएल)[89] के साथ किये गये (जून 2010) टर्मशीट करार तय मूल्य पर आधारित थे, जिनमें पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ मूल्य संशोधन का प्रावधान नहीं था और निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों ने पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ अस्थायी रूप से मूल्य व्यवस्था पर सहमत होने में असमर्थता जाहिर की है। जी.ओ.आई. ने ऑपरेटर को सूचित (15 जून 2010) करते हुये कहा कि घरेलू निजी रिफाइनरियों के साथ मूल्य संशोधन के संबंध में ली गई स्थिति स्वीकार्य नहीं है, ने सुझाव (जुलाई 2010) दिया कि इन रिफाइनरियों को की गई बिक्री को अस्थायी मूल्यों पर किया जाये, जब तक कि जी.ओ.आई. का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता। जी.ओ.आई. ने ऑपरेटर से यह भी कहा कि वर्ष 2010–11 में इन रिफाइनरियों को न्यून मात्राओं को तभी बेचे, यदि वे मूल्य शर्तों से सहमत हों। जी.ओ.आई. के इन निर्देशों और जी.ओ.आई. द्वारा मूल्य निर्धारण को अंतिम रूप देने के लंबित होने के बावजूद, इन रिफाइनरियों को वर्ष 2010–11 और 2011–12 के दौरान क्रूड बिक्री की गई।

4.3.5.1.4. एम ओ पी एन जी (जून 2014) ने अपने जवाब में कहा कि

- *धारा 19 बिक्री सौदों के तीन वर्गों से निपटता है (क) आर्मस लैन्थ सौदे (ख) सरकार/सरकार द्वारा नामित बिक्री और (ग) आर्मस लैन्थ सौदों से अलग अन्य सौदे। एग्रीमेंट के अनुसार, सभी बिक्री सौदे पहले दो वर्गों के अंतर्गत सौदे माने गये थे।*

- *धारा 19.3 जोकि आर्मस लैंथ सौदे से संबंधित है किसी विशेष मूल्य प्रणाली का अनुबद्ध नहीं करती है, क्योंकि मूल्य बाजार निर्धारित होंगे। जबकि धारा 19.4 जो सरकार/सरकार द्वारा नामित से संबंधित है, सामान्य (आम) मूल्य प्रणाली जो, कच्चे तेल के मूल्य को अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से जोड़ती है का अनुबद्ध करती है।*

- *धारा 19.6 अनुबद्ध करती है कि जब तक सरकार या सरकारी कम्पनी मूल्य पर आपत्ति नहीं करती है तब तक अंतिम स्थापित मूल्य का उपयोग होगा। क्योंकि मूल्यें आर्मस लैंथ माना गया हैं, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, जहां तक, कॉन्ट्रेक्टरों द्वारा मूल्य प्रभार किया जाता है। किसी असंगतता के अन्वेषण के अभाव में मूल्य को लाभ पेट्रोलियम एवं रॉयल्टी के लिए स्थिर*

---

[89] *आर आई एल–75000 बैरल/दिन और एस्सार 30000 बैरल/दिन*

माना जा सकता था।

- *लेखापरीक्षा रिफाइनरीज आरोपित मूल्य की सत्यता पर अभ्यावेदन दे सकता है विशेषतौर पर कि क्या आर्मसलैंथ पर कोई कार्य संपादन है।*

4.3.5.1.5. एम ओ पी एन जी का जवाब निम्नलिखित कारणों से स्वीकार्य नहीं था :

- एम ओ पी एन जी (जुलाई 2010) ने निर्दिष्ट (बताया) किया कि प्रभार मूल्य अस्थायी था। पी एस सी के अनुबंध कहता है कि मूल्य जी.ओ.आई. के *समझौते के अधीन* है। जी.ओ.आई. (एम ओ पी एन जी) ने (जुलाई 2010) को बताया कि किये गये प्रभार मूल्य अस्थायी थे। वास्तव में मूल्य प्रभार पर अभी भी जी.ओ.आई. सहमत नहीं हुई है, यद्यपि पी एस सी में ऐसा समझौता अनिवार्य है।

- उसी सूचना में, एम ओ पी एन जी ने सुस्पष्टता से कहा कि घरेलू निजी रिफाइनरियों की बिक्री आर्मस लैंथ सौदे नहीं माने थे। एम ओ पी एन जी का तुरंत उत्तर इस स्थिति में विपरीत लगता है।

4.3.5.1.6. ऊपर वर्णित स्थितियों और तथ्य के आधार पर मूल्य जी.ओ.आई. के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेखापरीक्षा के लिए रिफाइनरियों से मूल्य प्रभार की सच्चाई पर अथवा मूल्य प्रभार अन्यथा पर टिप्पणी करना मुश्किल होगा और कि क्या कोई सौदा आर्मस लैंथ बिक्री में था या नहीं जब तक कि जी.ओ.आई. पी एस सी के प्रावधानों के संदर्भ में इसे अनुमोदित नहीं कर देती है।

लेखापरीक्षा सिफारिश 18 जी ओ आई तुरंत आर जे क्रूड के लिए मूल्य को अंतिम रूप ताकि पी पी, रॉयल्टी इत्यादि की गणना स्थिर आधार पर की जा सके।

4.3.5.2 *ऑपरेटर द्वारा किया गया सी ओ एस ए*

4.3.5.2.1. आर जे ब्लॉक से क्रूड की बिक्री अक्टूबर 2009 में शुरू हुई और इसके लिये, ऑपरेटर ने विभिन्न खरीददारों जैसे आई ओ सी एल, आर आई एल और ईओएस आदि के साथ क्रूड की बिक्री के लिये सी ओ एस ए/टर्म शीट करार पर हस्ताक्षर किये।

4.3.5.2.2. हालांकि लेखापरीक्षा ने पाया कि ओ एन जी सी ने जे वी पार्टनर के रूप में खरीददारों के साथ इस आधार पर सी ओ एस ए पर हस्ताक्षर नहीं किये कि खरीददार और ऑपरेटर (सी ई आई एल) के बीच हस्ताक्षरित सी ओ एस ए में ब्लॉक से क्रूड की बिक्री एक सहमत के लिए मूल्य है जबकि जी.ओ.आई. ने ऑपरेटर को सूचित किया कि इन बिक्रियों के लिए मूल्य एक अस्थायी मूल्य होगा जब तक जी.ओ.आई. द्वारा मूल्य को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता। ओ एन जी सी ने आगे कहा कि घरेलू निजी रिफाइनरियों (आर आई एल और ईओएल) को बिक्री के लिये वितरण स्थान अभी जी ओ आई द्वारा तय किये जाने हैं।

4.3.5.2.3. एम ओ पी एन जी ने अपने प्रत्युत्तर में कहा कि *यह मुद्दा एक अन्तर–कॉन्ट्रेक्टर मुद्दा है जो सरकार को प्रभावित नही करता। फिर, वर्तमान में प्रयोग होने वाले सुपुर्दगी स्थान सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा अनुमोदित सुपुर्दगी स्थान पर जो मूल्य लगाया गया वह कॉन्ट्रेक्टरो के सभी घटको के लिये समरूप देखा गया।*

4.3.5.2.4. एम ओ पी एन जी का प्रत्युत्तर इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि ओ एन

जी सी जे वी सहभागी के रूप में खरीददारों के साथ सी ओ एंड ए/टर्न शीट अनुबंध हस्ताक्षर करने से पृथक रहा, जिसे किसी विधिक या एग्रीमेंटत्मक मुद्दे को टालने के लिये समय पर हस्ताक्षर करना चाहिए था।

4.4 प्राप्ति मामले

4.4.1 आई ओ सी को क्रूड की सुपूर्दगी के लिये विरामगम टर्मिनल पर आधारभूत संरचना के मूल्य में वृद्धि

4.4.1.1. पी एस सी का अनुच्छेद 23.2 कहता है कि कॉन्ट्रेक्टर यथोचित पद्धतियाँ अपनायेगा, जिनमें वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिये निविदा पद्धतियाँ शामिल है। संचालन करार[90] के खंड 4.5.11 के अनुसार, ऑपरेटर यू एस डॉलर एक सौ हजार (यू एस डॉलर 100,000) से ज्यादा व्यय का कोई भी अनुबंध निविदा द्वारा प्रदान करेगा, जब तक कि ओ सी अन्यथा एकमत से सहमत न हो।

4.4.1.2. ऑपरेटर ने आई ओ सी एल को क्रूड की डिलीवरी के लिये विरामगम टर्मिनल पर आधारभूत संरचना का सृजन करने के लिये 10 अप्रैल 2011 तक निर्धारित समापन के साथ यू एस डॉलर 2.00 मिलियन के अभियांत्रिकी, प्राप्ति और निर्माण (ई पी सी) का अनुबंध एल एंड टी को प्रदान (सितम्बर 2010) किया।

4.4.1.3. हालाँकि लेखापरीक्षा ने पाया कि आधारभूत संरचना के निर्माण के लिये निविदायें 5 निविदाकर्त्ताओं को भेजी गई, जिन्हें अगस्त 2009 में अंतिम रूप दिया गया मुख्य ई पी सी अनुबंध (सालाया से भोगत पाईपलाइन) के लिये तकनीकी अहर्त्ता प्राप्त पाया गया। दो निविदायें प्राप्त हुई और अनुबंध एल एंड टी को दिया गया। एक बोली लगाने वाले जो पहले की निविदा (अगस्त 2009) में पूर्व–अहर्त्ता प्राप्त था, को अनुबंध देना, सीमित निविदा आधार पर अनुबंध को देना था और यह उचित नहीं था क्योंकि यह बहुत ज्यादा भागीदारी को सुनिश्चित नहीं करता था।

4.4.1.4. ऑपरेटर ने कहा (जनवरी 2013) कि *जब विरामगम के लिये स्पर लाईन के निर्माण पर विचार किया गया तो वह मात्रा में था और कार्य की प्रकृति पहले किये गये गर्म और विद्युत–रोधित पाईपलाइन के समान थी। ऑपरेटर ने भी अपने उत्तर मे एम ओ पी एन जी को कहा (जुलाई 2014) कि यद्यपि लागत में वृद्धि हुई थी लेकिन परियोजना की समग्र लागत में वृद्धि नहीं हुई। ऑपरेटर ने यह भी कहा कि आई ओ सी के साथ अभियांत्रिकी चुनोतियों/इंटरफेस के मुदे के कारण अभिकल्पना बदलाव/ परिवर्तन आवश्यक हो गए थे।*

4.4.1.5. ऑपरेटर का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य की लागत धीरे–धीरे शुरूआत में प्रदान की गई यू एस डॉलर 2 मिलियन लागत से यू एस डॉलर 5 मिलियन तक बढ़ गई, जो संकेत देती है कि शुरू में बनाये गये अनुमान सही नहीं थे। परिणामस्वरूप, ऑपरेटर प्रतिस्पर्धात्मक निविदा से बचता रहा। समापन समारोह (जुलाई 2014) के दौरान ऑपरेटर ने आशवासन दिया कि परियोजना के लिए एम सी का पूर्वव्यापी अनुमोदन लिया जाऐ।

4.4.2 साईट ग्रेडिंग के लिये नामांकन आधार पर अनुबंध देना

4.4.2.1. पाईपलाइन परियोजना के भोगत टर्मिनल की साईट ग्रेडिंग के लिये यू एस डॉलर 1.323

---

[90] संचालन अनुबंध से तात्पर्य है पेट्रोलियम संचालनों के परिचालन के संदर्भ में कॉन्ट्रेक्टर द्वारा किये गये संचालन अनुबंध।

मिलियन (आई एन आर 5.95 करोड़) पर जनक बिल्डकॉन प्रा. लि. को निर्धारित समापन तिथि 12 अप्रैल 2010 को पूरा करने के लिए एक कॉन्ट्रेक्ट दिया (11 जनवरी 2010) गया। कार्यान्वयन के दौरान, कॉन्ट्रेक्टर को सख्त चट्टानों का सामना करना पड़ा और कार्य पूरा नहीं हो सका। पाँच महीनों से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद, ऑपरेटर ने सख्त चट्टानों के कारण अतिरिक्त कार्य के लिये आई एन आर 1.53 करोड़ का एक रूपांतर आदेश जारी (4 अक्टूबर 2010) किया, जिससे कॉन्ट्रेक्ट की राशि आई एन आर 7.48 करोड़ तक बढ़ गई। कॉन्ट्रेक्टर ने बाद में 2010 के अंत में काम को बिना खत्म किये छोड़ दिया, क्योंकि साईट ग्रेडिंग के कार्य के समाप्त होने में देरी से भोगत टर्मिनल के निर्माण प्रभावित होने की संभावना थी, ऑपरेटर ने साईट ग्रेडिंग के शेष कार्य को करने के लिये मुख्य कॉन्ट्रेक्टरों से मोलतोल करना प्रस्तावित (दिसम्बर 2011) किया।

4.4.2.2. लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2012 में आई एन आर 23.38 करोड़ की कीमत पर कार्य पुंज लॉयड लिमिटेड (पी एल एल) को दिया गया। साईट ग्रेडिंग कार्य आई एन आर 24.76 करोड़ (जनक बिल्डकॉन प्रा.लि.–आई एन आर 5.06 करोड़ और पी एल एल–आई एन आर 19.70 करोड़) की लागत पर समाप्त (जुलाई 2013) हुआ।

4.4.2.3. ऑपरेटर ने कहा (जनवरी 2013) कि *कार्यान्वयन के दौरान, कॉन्ट्रेक्टर को जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ा वे जमीन की अनपेक्षित परिस्थितियों, स्थानीय हिस्सेदारों से रूकावटों इत्यादि थी, जिसके कारण प्रगति धीमी रही और कार्य की गुणवत्ता भी स्वीकार्य नहीं थी। इस प्रकार, जिन परिस्थितियों में पी एल एल को कार्य दिया गया, उनकी भी शुरूआत में वर्णित परिस्थितियों से तुलना नहीं की जा सकती थी।* ऑपरेटर ने एम ओ पी एन जी को अपने प्रत्युत्तर (जुलाई 2014) में यह भी कहा कि *सविदा जनक को स्थलाकृतिक एवं भौगोलिक सर्वेक्षण के प्राप्ति के आधार पर दिया गया था। लेकिन चट्टान जो स्थान पर पायी गई अधिक कठोर थी जिसको खोदने के लिये अतिरिक्त विशेषीकृत उपकरणों की आवश्यकता थी जो मूल क्षेत्र में आवश्यक नही थे। इस प्रकार, पी एल एल के द्वारा निष्पादित क्षेत्र पर्याप्त रूप से अधिक था जो मूल सविदा में स्थान क्रम निर्धारण के लिये अनुमानित था।*

4.4.2.4. ऑपरेटर का उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि जनक बिल्डकॉन प्रा. लि. को स्थान के टोपोग्राफिक और जियोटैक्निकल सर्वेक्षणों के आधार पर कार्य प्रदान किया गया था, जो स्पष्ट रूप से चट्टानों की प्रकृति और गंभीरता का पूर्वानुमान नहीं लगा सके। यह अन्तिम रूप से पी पी एल को बिना कीमतों के औचित्य का आकलन किये आभाषी रूप से नामांकन आधार पर कार्य प्रदान करने के लिये उत्तर दायी हुआ। इसके अतिरिक्त, कार्य अप्रैल 2010 तक शुरूआती निर्धारित समाप्ति की अपेक्षा (जुलाई 2013) को समाप्त हुआ। इस प्रकार, लगभग 3 वर्षों की देरी थी, जबकि स्थानीय हिस्सेदारों की अवरोधों के कारण साईट केवल 26 दिनों के लिए तक बंद रही। इसके कारण अंततः पी एल एल को, नामांकन आधार और ऊँची लागत पर कार्य प्रदान किया गया, क्योंकि दरों के तार्किक मूल्यांकन की कोई प्रतिस्पर्धातमक निविदा खुली नहीं थी। प्रस्थान सम्मेलन (जुलाई 2014) के दौरान ऑपरेटर ने आश्वस्त किया कि एम सी का पूर्व प्रभावी अनुमोदन ले लिया जायेगा।

4.4.2.5. ऊपर उल्लिखित प्राप्ति केसो के सदर्भ में एम ओ पी एन जी ने कहा (जून 2014) कि *सी ए जी अपने अन्तिम प्रतिवेदन में कॉन्ट्रेक्टर के प्रत्युत्तर, यदि हो, पर विचार करने के पश्चात् मुद्दे पर सरकार के निर्णय को आसान बनाने के लिये सविदा कीमत से अस्वीकार किये जाने वाले रकम की*

अनुसंशा करे।

4.4.2.6. अस्वीकार किये जाने वाले रकम के संदर्भ में हम एम ओ पी एन जी के आश्वासन को लेते हुए यह प्रशंसा कर सकते है कि लेखापरीक्षा ने प्राप्ति प्रक्रिया से निचलन के उदाहरण सामने लायें है। उपयुक्त मूल्य के अभाव में अस्वीकृत अतिरिक्त मूल्य का आकलन संभव नही होगा। इन प्रेषणों में संबद्ध प्रेषणों के उदाहरणो का उल्लेख नही किया गया।

4.5 निष्कर्ष

आर जे ब्लॉक के 2008–12 की अवधि के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा ने पी एस सी के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु बेहतर निगरानी के लिए कार्यक्षेत्र के उदाहरणों का संकेत देती है।

एम सी बैठकों के कार्यवृत्त को अंतिम रूप देने में क्रियाओं के शुरू होने में देरी हुई।

ओ सी द्वारा अनुमोदित डब्ल्यू पी एंड बी को पी एस सी में वर्णित अवधि के भीतर एम सी को प्रस्तुत नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप, एम सी के अनुमोदन में भी देरी हुई। इस प्रकार, वार्षिक डब्ल्यू पी एंड बी की प्रस्तुति और अनुमोदन में देरी से पी एस सी में विहित समय अवधि का उल्लंघन हुआ।

ऑपरेटर के निवेदन के अनुसार, जी ओ आई बारमेर से सालाया डिलीवरी स्थान को इस शर्त के साथ बदलने पर सहमत हुआ कि सरकार कई पी एस यू रिफाईनरियों और गुजरात में बारमेर से सालाया और सालाया से भोगत पाईपलाइन बिछाने को निर्दिष्ट कर सकती है। पाईपलाइन का एक भाग बारमेर से सालाया तक मई 2010 में लगभग 10 महीनों की देरी के बाद पूरा हुआ और सालाया से भोगत शेष बची हुई पाईपलाइन, जोकि 2010 के क्यू 2 में खत्म होनी निर्धारित हुई थी, यांत्रिक रूप से जून 2014 तक पूर्ण हुई (वर्तमान में कमीशन के तहत), सुनिश्चित तारीख के लगभग चार वर्ष बाद तक देरियों की वजह से पाईप लाइन लागत में वृद्धि हुई जो कि यू एस डॉलर 941 मिलियन की अनुमानित लागत की अपेक्षा यू एस डॉलर 1108 मिलियन (मार्च 2013) तक बढ़ गया।

पी एस सी में वर्णित है कि जी ओ आई या इसके नामित, अनुबंध क्षेत्र से पूरा क्रूड तेल खरीदने के लिए बाध्य है। फिर भी, जी ओ आई नामांकित रिफाइनरियाँ, आर जे क्रूड नहीं उठा सकती हैं। और, जी ओ आई ने शेष क्रूड को घरेलू निजी रिफाइनरियों को बेचने के लिये ऑपरेटर को विपणन स्वतंत्रता दे दी है। लेखापरीक्षा की अवधि (2008–12) के दौरान, 2009–10 से 2011–12 में घरेलू निजी रिफाइनरियों को बिक्री कुल उत्पादन के 51.11 और 87.57 प्रतिशत के बीच थी जोकि मुख्यतः नामित जी ओ आई रिफाइनरियों द्वारा ब्लॉक से क्रूड उठाने की असमर्थता के कारण थी।

पी एस सी में वर्णित है कि क्रूड तेल का मूल्य पार्टियों के बीच तय होगा और जी ओ आई द्वारा सहमति के अधीन होगा। हालाँकि लेखापरीक्षा ने पाया कि आर जे क्रूड का मूल्य अभी तक जी ओ आई द्वारा निश्चित नहीं किया गया था, जिसके अभाव में आर जे क्रूड की बिक्री ऑपरेटर और खरीददारों के बीच अन्तरिम मूल्य पर हो रही थी।